न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन अधिकारी रायसिंहनगर

पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

सं. 93 / 2024
सीएमएस : 2024 / 217

1. रवि कुमार पुत्र श्री भागीरथ उर्फ भूपराम जाति बिश्नोई साकिन फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ उर्फ भूपराम जाति बिश्नोई साकिन फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। —:वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधि. एवं धारा 136 राज. भू. राज. अधि.

तारीख रजू 25.07.2024

उपस्थित अधिवक्तागण

1. श्री संतकुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी
2. राजपेरोकार सरकार

—: निर्णय :— दिनांक : 12.09.2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण के पिता श्री भूपराम उर्फ भागीरथ के नाम से बशराक्कत अजयकुमार आदि के साथ संयुक्त खाता में चक 78 आरबी. तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 195 / 15 मु.नं. 50 पं.नं. 207 / 268 में 2.024 है. बारानी भूमि व मु.नं. 102 पं.नं. 213 / 272 में 1.265 हैक्टर नहरी व मु.नं. 82 प.नं. 214 / 271 में 0.253 हैक्टर नहरी मय खाला कुल तादादी 3.542 है. नहरी बारानी मय खाला में 1 / 9 हिस्सा भूमि खातेदारी भूमि है उक्त भूमि के अलावा इसी चक 78 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 198 / 110 की 1.265 है. बारानी भूमि मु.नं. 51 प.नं. 208 / 268 में 0.253 हैक्टर बारानी भूमि व मु.नं. 82 प.नं. 214 / 271 में 1.012 है. नहरी भूमि कुल 2.530 हैक्टर नहरी बारानी भूमि व इसी चक 78 आरबी तहसील रायसिंहनगर की जमाबंदी संवत 2074—2077 खतौनी संख्या 194 / 14 मु.नं. 102 पं.नं. 213 / 272 में 1.265 है. नहरी भूमि मे 1 / 7 हिस्सा भूमि जो राजस्व अभिलखों में वादीगण के पिता श्री भागीरथ वल्द श्री पोकरराम जाति बिश्नोई साकिन फौजूवाला के नाम से दर्ज राजस्व रिकार्ड थी जिसका विरास्तन नामांतरण हम वादीगण के अलावा हमारी माता शारदा व हमारी बहन विमला व शिमला के नाम से दर्ज हो चुकी है लेकिन खाता संख्या 195 / 15 में वादीगण के पिता का नाम भूपराम होने के कारण विरास्तन इन्तकाल दर्ज नहीं हो सका है वादीगण के पिता श्री भागीरथ का घरेलू नाम भूपराम था तथा गांव में हमारे पिता को श्री भूपराम के नाम से ही जाना व पहचाना जाता था तथा हमारे पिता का भूपराम नाम से ही भारत निर्वाचन आयोग द्वारा पहचान पत्र बना दिया गया तथा वर्तमान में हमारें पिता के देहान्त के पश्चात ग्राम पंचायत द्वारा हमारी माता शारदा के नाम से परिवार राशन कार्ड बनाया गया है उसमें हम वादीगण के पिता का नाम भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम लिखा हुआ है, की जगह राजस्व अभिलेखों में सही रूप भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम करवाना चाहते है तथा इस भूमि का इसी सही भागीरथ उर्फ भूपराम वल्द पोकरराम नाम से बाद दुरूस्ती खातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है। इसकी पहचान हेतु हम ने पहचान पत्र, आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण—पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत की तस्दीक, भूमि की पासबुक पेश की है। जब वादीगण ने अपनी उपरोक्त जमाबंदी का अवलोकन किया तो मालूम हुआ कि राजस्व अभिलेखों में चक 78 आरबी के खाता सं. 195 / 15 में हमारे पिता का नाम भूपराम वल्द पोकरराम है तथा खाता सं. 198 / 110 व 194 / 14 में भागीरथ वल्द पोकरराम लिखा हुआ है जिनमें खाता संख्या 198 / 110 व 194 / 14 का विरासतन नामान्तरण हम वादीगण के अलावा हमारी माता शारदा व बहन विमला व शिमला हर पांच के नाम बहिस्सा

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

बराबर-बराबर हो चुका है लेकिन खाता संख्या 195/15 में हमारे पिता का नाम भूपराम पुत्र पोकरराम लिखा हुआ होने के कारण इस भूमि का विरासतन नामान्तरण दर्ज नहीं हो सका है जिस पर वादीगण ने उक्त हमारे पिता के नाम की जमाबंदी में दर्ज नाम भूपराम पुत्र पोकरराम की जगह सही नाम भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम जमाबंदी के खाता संख्या 195/15 में अंकित किए जाने हेतु प्रतिवादी के पास जाकर दिनांक 12.07.2024 को निवेदन किया तो उन्होने दुरूस्ती करने से स्पष्ट इन्कार इस आधार पर कर दिया कि माननीय न्यायालय के आदेश ही दुरूस्ती सम्भव है यही तारीख पैदा होने विनाए दावा बिनाये मुखास्मत है इसलिए दावा पेश कर रहे है। वाद वादीगण माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का है जो उचित न्याय शुल्क पर अन्दर मियाद पेश है। अतः वाद वादीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादीगण का खिलाफ प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री फरमाया जावे। चक 78 आरबी तहसील रायसिंहनगर जमाबंदी संवत 2074-2077 खतौनी संख्या 195/15 मु.नं. 50 प.नं. 207/268 में 2.024 हैक्टर बारानी भूमि व मु.नं. 102 प.नं. 213/272 में 1.265 हैक्टर नहरी व मु.नं. 82 प.नं. 214/271 में 0.253 है. नहरी मय खाला कुल तादादी 3.542 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला में 1/9 हिस्सा भूमि में जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में जहा वादीगण के पिता का नाम भूपराम लिखा हुआ है को दुरूस्त किया जाकर भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम अंकित किए जाने की डिक्री पारित की जाकर वादीगण के पिता को इसी नाम यानि भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम के नाम से खातेदार घोषित किया जावें।

वादपत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी राजस्थान सरकार की तरफ से तहसीलदार रायसिंहनगर ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2024/4056 दिनांक 30.08.2024 से अवगत करवाया कि उक्त प्रकरण में वाके चक 78 आरबी में जमाबंदी संवत् 2074-77 के खाता संख्या 195 में मु.नं. 50-102-182 में रकबा 3.542 है. नहरी बारानी मय खाला में भूपराम पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/9 जाति बिश्नोई खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज मृत्यु प्रमाण-पत्र, वारिस प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड व पहचान पत्र की प्रतियों में भूपराम व भागीरथ तथा भागीरथ उर्फ भूपराम का अंकन दर्ज है। मौके पर पूछताछ में भूपराम व भागीरथ एक ही व्यक्ति के दो नाम होना बताया गया हैं दैनिक डायरी में अंकन है। वादीगण राजस्व रिकार्ड में अपने पिता का नाम भूपराम उर्फ भागीरथ दर्ज करवाना चाहता है। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी व मौका डायरी भूपरराम व भागीरथ एक ही व्यक्ति के दो नाम होने के कारण खातेदार का नाम राजस्व रिकार्ड में भूपराम उर्फ भागीरथ पुत्र पोगरराम दर्ज किए जाने की अनुशंषा की जाती है।

बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया, वादपत्र वादीगण, वादी अधिवक्ता की बहस को सुनते हुए संगत विधिक प्रावधानों का अध्ययन किया। पत्रावली तथा इसके साथ प्रस्तुत दस्तावेजात यथा चक 78 आरबी तहसील रायसिंहनगर जमाबंदी संवत 2074-2077 खतौनी संख्या 195/15 मु.नं. 50 पं.नं. 207/268 में 2.024 हैक्टर बारानी भूमि व मु.नं. 102 प.नं. 213/272 में 1.265 हैक्टर नहरी व मु.नं. 82 प.नं. 214/271 में 0.253 है. नहरी मय खाला कुल तादादी 3.542 हैक्टर नहरी बारानी मय खाला में 1/9 हिस्सा भूमि में जमाबंदी के कॉलम संख्या 4 में जहा वादीगण के पिता का नाम भूपराम लिखा हुआ है को दुरूस्त किया जाकर भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम अंकित किए जाने की डिक्री पारित की जाकर वादीगण के पिता को इसी नाम यानि भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम [illegible] खातेदार घोषित किया जावें। वादीगण पिता के व्यक्तिगत समस्त दस्तावेजात [illegible] आधार कार्ड, मृत्यु प्रमाण-पत्र, राशन कार्ड, ग्राम पंचायत का वारिस प्रमाण पत्र की [illegible] भूमि की पासबुक पेश इत्यादि और वादीगण के द्वारा प्रस्तुत पहचान सम्बंधी दस्तावेज [illegible] पत्र के आधार पर स्वीकार किया जाना हम विधिसंगत समझते हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:04 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर

AnyScanner

—:आदेश:—

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में वादपत्र वादी अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 88–136 स्वीकर किया जाकर वाके चक चक 78 आरबी में जमाबंदी संवत् 2074–77 के खाता संख्या 195/15 में मु.नं. 50–102–182 में रकबा 3.542 है. नहरी बारानी मय खाला में भूपराम पुत्र पोकरराम हिस्सा 1/9 जाति बिश्नोई खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। में अंकित नाम भूपराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम दर्ज किये जाने के आदेश दिए जाते है। इस खाता के शेष अंकन व रहन बदस्तूर रहेगे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावे। पर्चा डिक्री इस आशय का जारी हो। पर्चा डिक्री की एक प्रति तहसीलदार रायसिंहनगर को पालनार्थ प्रेषित हो। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर/ लेख भण्डार जमा हो।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

निर्णय आज दिनांक 12.09.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस.)}
उपखण्ड अधिकारी
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:04 IST
Reason: SelfAttested

AnyScanner

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई
(आदेश 20 रूल 6–7 जाब्ता : दीवानी)

C/VIL PROCEDURE CODE APPENDIX D-1

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी(राजस्व) मुकाम रायसिंहनगर
बईजलास : अर्पिता सोनी आर.ए.एस.

न्यायालय,उपखण्ड अधिकारी एंव पदेन अधिकारी रायसिंहनगर
पीठासीन अधिकारी : श्री सुभाष चन्द्र {आर.ए.एस.}

प्र.सं. 93 / 2024
सीसीएमएस : 2024 / 217

1. रवि कुमार पुत्र श्री भागीरथ उर्फ भूपराम जाति बिश्नोई साकिन फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.।
2. रविन्द्र कुमार पुत्र श्री भागीरथ उर्फ भूपराम जाति बिश्नोई साकिन फौजूवाला तहसील रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़ राज.। —:वादीगण

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार राजस्व रायसिंहनगर। —:प्रतिवादी

वादपत्र अन्तर्गत धारा 88 राज.काश्त. अधि. एवं धारा 136 राज. भू. राज. अधि.

दिनांक:—12.092024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई बरूबरू हमारे बहाजरी श्री संतकुमार बिश्नोई अधिवक्ता वादी, राजपैरोकार पेश होकर हुकम दिया जाता है एवं डिक्री की जाती है कि:—वाद वादीगण स्वीकार कर चक चक 78 आरबी में जमाबंदी संवत् 2074—77 के खाता संख्या 195 / 15 में मु.नं. 50—102—182 में रकबा 3.542 है. नहरी बारानी मय खाला में भूपराम पुत्र पोकरराम हिस्सा 1 / 9 जाति बिश्नोई खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। में अंकित नाम भूपराम पुत्र पोकरराम के स्थान पर भागीरथ उर्फ भूपराम पुत्र पोकरराम की दूरूस्ती की जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश तहसीलदार रायसिंहनगर को दिए जाते हैं। शेष अंकन बदस्तुर रहेगा।

डिक्री आज दिनांक 12.09.2024 को जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
{सुभाष चन्द्र (आर.ए.एस)}
रायसिंहनगर
सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी
रायसिंहनगर जिला अनूपगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Subhash Chandra
Date: 2024.11.05 14:51:04 IST
Reason: SelfAttested

SCAN AnyScanner